



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271710  
CG-DL-E-10042026-271710

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1759]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1759]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

**का.आ. 1828(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2966 (अ) दिनांक 30 जून 2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2899 दिनांक 02 जुलाई 2025 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में बी.पी.सी.एल. इरुगुर टर्मिनल, कोयम्बतूर से देवनगोंदि टर्मिनल, बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इरुगुर- देवनगोंदि पाइपलाइन, परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची						
जिला : सेलम			राज्य : तमिलनाडु			
सं.	गांव का नाम	तालुक	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	नंगावल्ली	मेट्टुर	106/2	00	21	68

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2018-ओआर-1/ई-27006]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

**S.O. 1828(E).**— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. NO.2966 (E) dated 30<sup>th</sup> June, 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition Under Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 2899 on 2<sup>nd</sup> July, 2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Irugur- Devangonhi Pipeline for transportation of Petroleum products from Irugur (Coimbatore, Tamilnadu) to Devangonhi (Bangalore, Karnataka) by Bharat Petroleum Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the land under right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE						
District: - Salem				State :- Tamilnadu		
Sl.No.	Name of the Village	Taluk	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nangavalli	Mettur	106/2	00	21	68

[F. No. R-11025(15)/6/2018-OR-I/E-27006]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.